भारत में जनजातीय विकास की रणनीतियां

–डा. के के त्रिपाठी

भारत सरकार के योजनाबद्ध प्रयासों ने देश में अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के समग्र विकास को गति दी है। इस रणनीति ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की पहचान करने के अलावा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलकदमियों के जरिए इनके निवारण का रास्ता भी तैयार किया है। सरकार ने इन सामाजिक और आर्थिक पहलकदमियों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया है। लेकिन साथ ही, खासतौर से अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी भागीदारी पर आधारित एक ऐसी स्वशासन प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की सख्त ज़रूरत महसूस की गई है जिसमें यह समुदाय अपने संसाधनों का प्रबंधन खुद कर सके। इस तरह की भागीदारी पर आधारित और जनजाति प्रबंधित विकास प्रक्रिया से अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण संभव होगा। शैक्षिक अवसंरचना में इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धी दुनिया में किस तरह आधुनिक और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के जरिए अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की दक्षता और ज्ञान को बढ़ाया जाए।

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय और सालाना योजनाओं में जनजातियों के विकास पर ज़ोर दिया गया है। लेकिन देश की अनुसूचित जनजातियों के विकास के मार्ग में चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण इस समुदाय की पारम्परिक जीवनशैली, दूरदराज के इलाकों में बसावट, बिखरी हुई आबादी और निरंतर विस्थापन है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6 प्रतिशत यानी 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की आबादी का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है। देश की जनसंख्या में उनका हिस्सा 1961 में 6.9 प्रतिशत था जो 2011 में बढ़ कर 8.6 प्रतिशत हो गया। लेकिन विकास के विभिन्न पैमानों पर देश के अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति कम रही है। हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।

इस आलेख में हम इन प्रावधानों के साथ ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकारी रणनीतियों, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे।

सांविधानिक प्रावधान

भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों की विशेष ज़रूरतों को समझते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ खास प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के अलावा इस समुदाय को शोषण से बचाना भी है। नागरिकों के मौलिक अधिकार उनका समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, संविधान में निरूपित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसमें नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए सांविधानिक प्रावधानों को तालिका–1 में सूचीबद्ध किया गया है।

विकास योजनाएं और कार्यक्रम

नीति निर्माताओं और योजनाकारों ने पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) की शुरुआत से ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पहली योजना में वंचित तबकों की ज़रूरतों को पर्याप्त और समुचित ढंग से पूरा करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने से संबंधित सिद्धांत

तालिका 1: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सांविधानिक प्रावधान

क्र. सं.	अनुच्छेद/अनुसूची	प्रावधान संक्षेप में
अनुच्छेद		
1	14	कानून की नज़र में समानता या सबको समान कानूनी संरक्षण
2	15	सरकारें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगी
3	15(4)	सरकारें अनुसूचित जनजातियों समेत सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े तबकों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान कर सकती हैं
4	16(4)	सरकारें नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं
5	38	सरकारें सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित और संरक्षित कर जनसामान्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी
6	46	सरकारें अनुसूचित जनजातियों समेत सभी कमज़ोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देंगी
7	164(1)	बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे अनुसूचित जनजातियों की बड़ी आबादी वाले राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होगा
8	275(1)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को सुधारने के लिए अनुदान
9	330, 332 और 335	लोकसभा, विधानसभा और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
10	340	सरकार सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े तबकों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी
11	342	सरकार जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के तौर पर चिह्नित करेगी
12	275(1)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भारत के समेकित कोष से हर साल अनुदान जारी किए जाएंगे
अनुसूची		
13	पांचवीं	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय सलाहकार परिषदों के गठन के लिए निर्देश। ये परिषदें जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मसलों की निगरानी करेंगी और उपयुक्त सलाह देंगी [अनुच्छेद 244(1)]
14	छठी	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में कुछ खास इलाकों को स्वायत्त ज़िले या स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर तथा ज़िला परिषदों के गठन के ज़रिए अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन [अनुच्छेद 244(2)]
संविधान संशोधन		
15	73वां और 74वां संशोधन तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून 1996 (पेसा)	अनुसूचित जनजातियों को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। इन समुदायों को अपनी ही पहलकदमियों के ज़रिए खुद के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया गया। पेसा संवहनीय स्वायत्त जनजातीय शासन सुनिश्चित करने के लिए सांविधानिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है।

निर्धारित किए गए। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रभावी और सघन अभियान चलाने के मकसद से विशेष प्रावधान भी किए गए।

सरकार ने पहली योजना के अंत में देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस और समेकित विकास योजनाओं की ज़रूरत को महसूस किया। परिणामस्वरूप दूसरी योजना (1956–61) के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों को चार समूहों में बांटा गया जो इस प्रकार थे– (1) संचार, (2) शिक्षा और संस्कृति, (3) जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा (4) स्वास्थ्य, आवासन और जल आपूर्ति। आर्थिक विकास पर ज़ोर देते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि समाज में असमानता घटे। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना बनाते समय उनकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखा गया। ये कार्यक्रम इस समुदाय की संस्कृति और परम्पराओं के प्रति सम्मान और समझ पर आधारित थे। पहली योजना में जनजातीय कल्याण के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए गए थे, उन्हें 1961 तक प्रभावी स्वरूप मिल गया। दूसरी योजना के इस आखिरी वर्ष में सरकार ने 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय प्रखंडों की स्थापना की। इन्हें बाद में जनजातीय विकास खंड (टीडीबी) का नाम दिया गया। अनुसूचित जनजातियों को अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए दूसरी योजना में शामिल योजनाओं और नीतियों को तीसरी योजना (1961–66) में भी जारी रखा गया।

चौथी योजना (1969–74) में देशवासियों के जीवन–स्तर में तेज़ सुधार का संकल्प जाहिर किया गया ताकि सबके लिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1971–72 में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में छह प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं। पांचवीं योजना (1974–78) में विकास कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष लाभ अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचाने के लिए जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) शुरू की गई। टीएसपी का उद्देश्य सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के जीवन–स्तर में सुधार के लिए विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं था। इसमें इस समुदाय के हितों की कानूनी और प्रशासनिक मदद से रक्षा पर भी ध्यान दिया गया। टीएसपी के तहत यह प्रयास किया गया कि विकास के अन्य क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातियों के लिए धन का प्रवाह आबादी में उनके अनुपात के अनुरूप हो तथा जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

छठी योजना (1980–85) में कोषों का अधिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। साथ ही, अनुसूचित जनजातियों के कम–से–कम 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार किया गया। सातवीं योजना (1985–90) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए दो राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। इनमें से एक 1987 में गठित जनजातीय सहकारी विपणन महासंघ (ट्राइफेड) है। यह राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए शीर्ष संस्था है। इसके अलावा, अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की शुरुआत की गई। ट्राइफेड अनुसूचित जनजातियों को उनके वन और कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करता है। दूसरी तरफ, एनएसएफडीसी का काम रोज़गार सृजन के लिए ऋण की व्यवस्था करना है। आठवीं योजना (1992–97) में अनुसूचित जनजातियों के शोषण को खत्म करने के प्रयासों के साथ ही उनके अधिकारों के दमन, भूमि से बेदखली, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होने तथा उन्हें छोटे वन उत्पादों के संग्रह के अधिकार से वंचित किए जाने जैसी समस्याओं के हल पर भी ध्यान दिया गया।

नौवीं योजना (1997–2002) में ऐसे परिवेश के निर्माण पर ज़ोर दिया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियां अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का स्वतंत्रता से उपयोग करते हुए समाज के बाकी तबकों के समान ही जीवन व्यतीत कर सकें। इसके बाद दसवीं योजना (2002–07) में जनजातीय समाज के अनसुलझे मसलों और समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ग्यारहवीं (2007–12) और बारहवीं (2012–17) योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के उपायों को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया। इसके अलावा, राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए यथोचित और समुचित गतिविधियां चलाने के बारे में निर्देश दिए गए। इसके बाद से भारत सरकार के नीति आयोग के जरिए सालाना योजनाओं में राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास की ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। आयोग जनजातीय उप–योजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के जरिए लागू करने के बारे में समय–समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को हर साल अपने कुल योजना आवंटन का 4.3 से 17.5 प्रतिशत तक हिस्सा जनजातीय विकास के उद्देश्य से रखने के लिए अधिकृत किया है। विकास के कुछेक महत्वपूर्ण पैमानों पर अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति इस प्रकार है:

आजीविका विकास

योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के सर्वे नतीजों पर आधारित तेंदुलकर पद्धति को अपनाया था। इन अनुमानों के अनुसार 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या गाँवों में 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 24.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2009–10 और 2011–12 का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा तालिका–2 में दिया गया है।

एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति (मूलः सहायक) में श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017–18 में 41.8 प्रतिशत और 2019–20 में 47.1 प्रतिशत थी। सभी वर्गों के लिए यह दर 2017–18 में 36.9 प्रतिशत और 2019–20 में 40.1 प्रतिशत थी (तालिका–3)।

इसी तरह, एनएसएसओ के पीएलएफएस 2019–20 से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोज़गारी दर 2017–18 में 4.3 प्रतिशत से घट कर 2019–20 में 3.4 प्रतिशत रह गई (तालिका–4)।

साक्षरता और शिक्षा

2011 की जनगणना के अनुसार सभी आयु वर्गों को मिला कर साक्षरता की दर कुल आबादी में 73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों में 59 प्रतिशत थी। युवा वर्ग की बात करें तो कुल आबादी और अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता दर का अंतर 11.1 प्रतिशत था। यह अंतर युवकों में 7.1 प्रतिशत और युवतियों में 14.7 प्रतिशत का था। कुल आबादी और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बीच साक्षरता दर का यह फासला काफी बड़ा है। निःसंदेह, सरकार के साक्षरता अभियानों का लाभ देश के सभी नागरिकों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है (तालिका–5)।

विद्यालय परित्याग दर शैक्षिक विकास के अभाव और शिक्षा के एक खास स्तर तक पहुंचने में किसी सामाजिक समूह की अक्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्राथमिक, उच्च–प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विद्यालय परित्याग दर में कमी आ रही है (तालिका–6)।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता की कमी, औपचारिक शिक्षा के परित्याग और दाखिले के कम अनुपात जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। स्कूलों में उनकी शिक्षा निःशुल्क किए जाने के साथ ही उन्हें पुस्तकें और वर्दियां मुफ्त दी जा रही हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए खासतौर से आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इनमें इस समुदाय के छात्रों के भोजन और आवास का खर्च सरकार वहन करती है। ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना और नवोदय विद्यालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता का प्रसार है। दूरदराज के गाँवों के निवासी और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण तीसरी योजना के दौरान ही शुरू कर दिया गया था। वर्ष 1989–90 में अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की एक अलग योजना शुरू की गई। जनजातीय उप–योजना के क्षेत्रों में 1990–91

तालिका–2: 2009–10 और 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे जनजातीय आबादी (प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
1	आंध्र प्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0.0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	भारत	47.4	45.3	30.4	24.1

स्रोतः जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22

से आदिवासी विद्यालयों की स्थापना शुरू की गई। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत कोष के एक अंश का उपयोग करने का फैसला किया। इस धन का इस्तेमाल 20 राज्यों में छठी से बारहवीं तक कक्षाओं के लिए 288 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना पर किया जाना था। वर्ष 1997–98 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उच्चतर और पेशेवर शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की उच्चस्तरीय नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा पाने के लायक बनाना था। संशोधित कार्यक्रम को 12 सितंबर, 2019 को शुरू किए जाने के समय तक 200 ईएमआरएस काम करने लगे थे।

सरकार ने संशोधित योजना के तहत ईएमआरएस की स्थापना के लिए देश में 452 प्रखंडों की पहचान की है। ये प्रखंड इन

तालिका 3: अनुसूचित जनजातियों और सभी वर्गों के लिए श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017–18 से 2019–20 तक (प्रतिशत में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2019–20)									
अजजा	57.4	38.0	47.9	56.3	25.6	41.3	57.2	36.5	47.1
सभी	56.3	24.7	40.8	57.8	18.5	38.6	56.8	22.8	40.1
पीएलएफएस (2018–19)									
अजजा	57.3	28.7	43.3	54.3	18.4	36.5	57	27.6	42.5
सभी	55.1	19.7	37.7	56.7	16.1	36.9	55.6	18.6	37.5
पीएलएफएस (2017–18)									
अजजा	56.6	27.6	42.5	53.6	18.4	36.6	56.3	26.6	41.8
सभी	54.9	18.2	37.0	57.0	15.9	36.8	55.5	17.5	36.9

स्रोतः पीएलएफएस 2019–20, एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 से उद्धृत)

तालिका 4: अनुसूचित जनजातियों और सभी वर्गों के लिए 2017–18 से 2019–20 तक बेरोज़गारी दर (प्रतिशत में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2019–20)									
अजजा	3.7	1.8	3.0	7.1	8.0	7.3	4.1	2.3	3.4
सभी	4.5	2.6	4.0	6.4	8.9	7.0	5.1	4.2	4.8
पीएलएफएस (2018–19)									
अजजा	4.4	2.4	3.8	10.5	14.4	11.5	5.0	3.3	4.5
सभी	5.6	3.5	5.0	7.1	9.9	7.7	6.0	5.2	5.8
पीएलएफएस (2017–18)									
अजजा	4.9	2.2	4.0	7.0	7.6	7.1	5.1	2.6	4.3
सभी	5.8	3.8	5.3	7.1	10.8	7.8	6.2	5.7	6.1

स्रोतः पीएलएफएस 2019–20, एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 से उद्धृत)

तालिका 5: विभिन्न आयु वर्गों में साक्षरता दर–जनगणना 2011

सभी वर्ग (उम्र समूह)	कुल			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी उम्र	73.0	80.9	64.6	59.0	68.5	49.4
10–14	91.1	92.2	90.0	86.4	88.3	84.4
15–19	88.8	91.2	86.2	80.2	85.7	74.6
20–24	83.2	88.8	77.3	69.2	79.6	59.0
किशोर (10–19)	90.0	91.7	88.2	83.6	87.1	79.9
युवा (15–24)	86.1	90.0	81.8	75.0	82.9	67.1

स्रोतः महापंजीयक कार्यालय, भारत (जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 से उद्धृत)

तालिका 6: अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा में विद्यालय छोड़ने की दर

वर्ष / कक्षा	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल
2015–16	4.18	4.29	4.24	9.64	9.70	9.67	26.28	26.27	26.27
2016–17	3.91	3.96	3.94	8.60	8.69	8.64	27.15	27.85	27.51
2017–18	3.48	3.82	3.66	6.14	5.95	6.04	21.36	22.90	22.14
2018–19	5.23	5.72	5.48	6.46	6.89	6.69	23.38	26.40	24.93
2019–20	3.45	3.90	3.69	5.65	6.15	5.90	22.49	25.51	24.03

स्रोतः शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई), शिक्षा मंत्रालय (जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 से उद्धृत)

विद्यालयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत या इससे ज़्यादा जनजातीय आबादी और कम–से–कम 20,000 आदिवासियों के निवास की शर्तें पूरी करते हैं। इन प्रखंडों में स्थापित किए जाने वाले ईएमआरएस पुरानी योजना के तहत मंज़ूर 288 विद्यालयों के अतिरिक्त होंगे। सरकार ने 740 ईएमआरएस खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा समय में देश भर में 378 ईएमआरएस चल रहे हैं। इनमें से 205 विद्यालयों का संचालन पिछले पांच वर्षों (2017–22) के दौरान शुरू हुआ है।

उद्यमिता और कौशल विकास

साक्षरता और शिक्षा में प्रगति के साथ ही उद्यमिता के माहौल और कौशल विकास की पहलकदमियों की भी दरकार है ताकि अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित व्यक्तियों को अपने निवास स्थान के नज़दीक ही समुचित रोज़गार मिल सके। कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया मिशन के तहत इस दिशा में कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के ज़रिए अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में जनजातीय समुदाय समेत समाज के सभी तबकों के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ज़रिए दीर्घकालिक कौशल उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी योजनाओं में अनुसूचित जनजाति घटक के माध्यम से आदिवासियों के लिए कोषों के उपयोग का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। संसाधनों की कोई कमी नहीं होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियों के रोज़गार के योग्य युवाओं को उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न पेशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर हमेशा ज़ोर दिया गया है। लेकिन राज्यों में इस दिशा में हुई प्रगति में काफी असमानता है। आँकड़ों से ज़ाहिर है कि अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियां आर्थिक तौर पर ज़्यादा पिछड़ी हैं। अनुसूचित जनजातियों की गरीबी रेखा से नीचे की ज़्यादातर आबादी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की है। उनके पास उत्पादक संपत्तियां बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं हैं।

सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की पहचान करते हुए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलकदमियों के जरिए उनके समाधान के तौर–तरीके तैयार किए हैं। जनजातियों की भागीदारी पर आधारित स्वशासन की एक ऐसी प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की ज़रूरत है जिसमें इस समुदाय के सदस्य संसाधनों का खुद प्रबंध कर अपनी नियति स्वयं निर्धारित करें। इससे जनजातियों का उनकी भागीदारी और उनके प्रबंधन वाली विकास प्रक्रिया में सशक्तीकरण होगा।

उचित स्थानों पर प्राइमरी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों जैसी शैक्षिक अवसंरचना के निर्माण का कदम सराहनीय है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की योग्यता और ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए छोटे वनोपजों और कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भर करता है। लिहाजा, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने तथा जनजातीय उत्पादों को संवहनीय ढंग से बाज़ार से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। आखिरी महत्वपूर्ण बात यह कि अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय सहयोग, तालमेल और एकजुटता की आवश्यकता है।

संदर्भः

वार्षिक रिपोर्ट, 2021–22, जनजातीय कार्य मंत्रालय

https://tribal.nic.in, जनजातीय कार्य मंत्रालय

(लेखक सहकारिता मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ईमेलः tripathy123@rediffmail.com